कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा

पत्र सं0 :– सी0एफ0ओ0 / अ0सु0 / मथुरा / 2016 दिनांक :– 14-09-2016

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
मथुरा

विषय :– तहसील मांट के खसरा नम्बर 1025 , ग्राम –सुरीरकलॉ बांगर, जिला मथुरा में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने हेतु निरीक्षण आख्या के सम्बन्धं में।

सन्दर्भ :–आपका पत्रांक 1243 / जि0पू0अ0–पैट्रो0लि0–अना0–प्र0–पत्र / 2016 दिनांक:– 05.09.2016।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रस्तावित नये रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है। जिस सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री इन्द्रजीत शर्मा द्वारा किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रस्तावित स्थल मथुरा, वृन्दावन – मांट, नौहझील रोड पर तहसील मांट के ग्राम –सुरीरकलॉ बांगर के खसरा नम्बर 1025 पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते है।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन लाइन नही गुजर रही है।
3. प्रस्तावित स्थल के पास किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही पाया गया।
4. प्रस्तावित स्थल के तीन तरफ कृषि योग्य भूमि है।
5. प्रस्तावित स्थल पर तीन भूमिगत टैंक है जिनकी क्षमता 22 कि0ली0,16 कि0ली0 और 16 किली0 प्रस्तावित है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. कैनोपी का निर्माण अस्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूमितल से न्यूनतम ऊँचाई 08 मीटर होगी।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्गमीटर सें कम न हो।
3. प्रत्येक टैंक का वेन्ट पाईप पेट्रोलियम नियमावली 2002 के मानकों के अनुरूप होना चाहियें।
4. प्रत्येक टैंक के लिये अलग–अलग वेन्ट पाईप का प्राविधान किया जाय, जो आपस में जुड़ा नही होना चाहिए। वेन्ट पाईप की ऊँचाई 04 मीटर से कम नही होनी चाहिये एवं उसके चारों तरफ 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिये।
5. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0 2148 के मानकों के अनुरूप ही किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0 / ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाय।
6. लाइसेन्स एरिया में विद्युत जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाईटे फ्लेम प्रूफ होनी चाहिये।
7. प्रत्येक डिस्पेन्सर में इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम / स्वीच होना चाहिये।
8. इलैक्ट्रिक पैनल रूम में फ्लोर पर रबर मैट बिछी होनी चाहिये एवं रूम में पर्याप्त वेन्टीलेशन होना चाहिये।

14/09/16

SIDDHARTH MISRA
Chief Regional Manager
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

Scanned by CamScanner

9. तेल टैंकर से टैंक में तेल भरते समय नियमानुसार अर्थिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।

10. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर निम्न अग्निशमन व्यवस्थाएँ हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखी जाय।

अ. प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास 02 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर (आई0एस0मार्का) क्षमता – 10 कि0ग्रा0 एवं 02 अदद ए0एफ0एफ0 एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता – 09 ली0 हमेशा क्रियाशील अवस्था में रखें।

ब. अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास 01 अदद डी0सी0पी0 ट्राली क्षमता 75 कि0ग्रा0 एवं 01 अदद ए0एफ0एफ0एफ0 (फोम टाईप) फायर एक्टटिंग्यूशर (ट्राली) क्षमता – 50 ली0 हमेशा क्रियाशील दशा में रखें।

स. स्टोरेज टैंक के पास 12 अदद बकेट बालू से भरी स्टैण्ड पर रखी जाय।

द. विद्युत पैनल रूम में 01 अदद 10 कि0ग्रा0 डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 01 अदद 4.50 कि0ग्रा0 क्षमता का CO_2 फायर एक्सटिंग्यूशर रखें।

य. विद्युत जेनरेटर के पास 01 अदद डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 क्षमता – 10 कि0ग्रा0 तथा 01 अदद CO_2 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता – 4.50 कि0ग्रा0 रखें एवं विद्युत जेनरेटर अण्डर ग्राउण्ड टैंक से नियमानुसार सुरक्षित दूरी पर होना चाहिये।

र. अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2000 ली0 पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।

ल. पेट्रोल पम्प के सूचना पट्ट पर आपातकालीन सेवा अग्निशमन विभाग – 101, एम्बुलेंस सेवा – 108, पुलिस विभाग – 100, का टेलीफोन नम्बर बडे अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

11. ग्राहकों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें।

अ. तेल भरवाने से पहले वाहन का इंजन बंद कर लें।

ब. मोबाईल फोन का इस्तेमाल न करें।

स. स्थल पर धुम्रपान न करें।

12. रिटेल आउटलेट का इमरजेन्सी ऐक्शन प्लान ओ0आई0एस0डी0 225 के अनुरूप होनी चाहिये एवं उसके अनुरूप ही सभी कर्मचारी प्रशिक्षित किये जाने चाहिये।

अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तहसील मांट के खसरा नम्बर 1025, ग्राम –सुरीरकलॉं बांगर, जिला मथुरा में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित की जाती है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) का निर्माण पैट्रोलियम नियमावली 2002 के प्राविधानित मानकों एवं मानचित्रों के अनुसार ही किया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने व पैट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व अग्निशमन सिस्टम/उपकरणों का निरीक्षण परीक्षण अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी से कराकर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय प्रबन्धक की होगी।

14/03/16

(दीपक शर्मा)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि–
1. आवेदक को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

SIDDHARTHA MISRA
Chief Regional Manager
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

Scanned by CamScanner